न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 37/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा **– प्रार्थी**	बनाम	1. श्री ललित किशोर माण्डिवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र माण्डिवाल, विक्रेता/मालिक मैसर्स बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा (राज) स्थाई पता :– ग्रामीण बैक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा (राज) **—विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

दिनांक 22.06.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री ललित किशोर माण्डिवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र माण्डिवाल, विकेता/मालिक मैसर्स बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा (राज) पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् घी, दूध, छाछ इत्यादि का निर्माण कर विकय कर रहा था। मैसर्स बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैंक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया कि एक स्टील की टंकी मे लगभग 12–15 किलो घी (खुला हुआ) रखा हुआ था। इस टंकी से घी आम जनता को विकय किया जा रहा था। मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 के तहत

खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की । नियमानुसार घी (खुला हुआ) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया । बाद जाँच नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षी के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 ए की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29/08/2016 को समय 4:10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैंक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल, भीलवाड़ा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया। इस समय दुकान पर खाद्य विकेता/मालिक की हैसियत श्री ललित किशोर माण्डिवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र माण्डिवाल, उम्र–38 वर्ष, जाति –माण्डिवाल, निवासी– ग्रामीण बैंक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु घी, दूध, छाछ इत्यादि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मालिक/विकेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई, मौके पर विकेता/मालिक द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। खाद्य रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन संख्या 22211016000077, फर्म मैसर्स बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैंक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल, भीलवाड़ा एवं मालिक श्री ललित किशोर माण्डिवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र माण्डिवाल इत्यादि अंकित था। ।

मैसर्स बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैंक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल, भीलवाडा के मालिक/विकेता एवं गवाहों की उपस्थिति में डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया कि एक स्टील की टंकी मे लगभग 12–15 किलो घी (खुला हुआ) रखा हुआ था। इस टंकी से घी आम जनता को विकय किया जा रहा था। मिलवाट शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की ।

मौके पर गवाह एवं विकेता की उपस्थिति टंकी में रखे हुए घी को 1 लीटर मापक से अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक रूप किया। इस एकरूप घी मे से 800 ग्राम घी एक साफ, सुख, खाली, स्टील के भगोने मे तुलवाकर एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत वास्ते जाँच हेतु खरीदे एवं इस बाबत 300/– रूपये अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा घी को गवाहों व विकेता के सामने चार साफ सुखे, खाली चौड मुंह के प्लास्टिक के कन्टेनरों में बराबर – बराबर भागों में विभाजित कर डाला एवं ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन

पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–169 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–169 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीशचन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता श्री ललित किशोर माण्डिवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र माण्डिवाल के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विकेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों कों सील चपडी किया था, उसका मोनोग्राम मौके पर पंचनामें पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विकेता को लिए गये नमूनें की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।। लिये गये खाद्य नमूना सख्यां एक्स 169 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S. 500/Act/2016/550 दिनांक 09/09/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना घी (खुला हुआ) के सबस्टेण्डर्ड (Sub Standard) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री ललित किशोर माण्डिवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र माण्डिवाल, विकेता/मालिक मैसर्स बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैंक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा द्वारा सब स्टेण्डर्ड घी (खुला हुआ) का निर्माण एवं विकय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 12.05..2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 22.06.2017 को

कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी स्वयं उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी से लिया गया खाद्य नमूना घी (खुला हुआ) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने घी (खुला हुआ) Butyrorefractometer Reading at 40^0 c पर 40 से 43 तक होनी चाहिए , उसके स्थान पर 43.7 पाई गई। Reichert Value कम से कम 26 होनी चाहिए, के स्थान पर 25.79 ही पाई गई । इसलिए लिया गया नमूना घी खुला हुआ सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड घी खुला हुआ का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये, पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु विपक्षी द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विपक्षी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा क्रीम से घी का निर्माण किया जाता है। क्रीम को गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। क्रीम को कम गरम करने के कारण लिया गया नमूना निर्धारित मापदण्डो के अनुसार नहीं होना पाया गया। उनके द्वारा घी में अन्य कोई मिलावट नहीं कि गई है। जुर्म स्वीकार करते हुए छोटा दुकानदार होना बताया गया एवं कम से कम जुर्माना अध्यारोपित करने का निवेदन किया गया एवं भविष्य में घी निर्माण में ध्यान रखने हेतु भी न्यायालय को आश्वस्त किया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. LS. 500/Act/2016/550 दिनांक 09/09/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना घी (खुला हुआ) सबस्टेण्डर्ड (Sub Standard) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने घी (खुला हुआ) Butyrorefractometer Reading at 40^0C पर 40 से 43 तक होनी चाहिए , उसके स्थान पर 43.7 पाई गई। Reichert Value कम से कम 26 होनी चाहिए, के स्थान पर 25.79 ही पाई गई । इसलिए लिया गया नमूना घी खुला हुआ सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड घी खुला हुआ का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।** विपक्षी द्वारा घी खुला हुआ सबस्टेण्डर्ड का निर्माण एवं विक्रय किया गया है एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सब स्टेण्डर्ड खाद्य प्रदार्थ का निर्माण एवं विक्रय करना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। प्रकरण में विपक्षी श्री ललित किशोर माण्डिवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र माण्डिवाल, विक्रेता/मालिक मैसर्स

बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैंक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा घी खुला हुआ का निर्माण एवं विक्रय करने के लिये दोषी है ।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 25000/—रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/06/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः— **निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—**

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री ललित किशोर माण्डिवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र माण्डिवाल, विक्रेता/मालिक
   मैसर्स बालाजी डेयरी, ग्रामीण बैक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा (राज)
   स्थाई पता :— ग्रामीण बैक के सामने, माण्डल चौराहा, माण्डल भीलवाडा (राज)

22/06/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा